रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-25102021-230698 CG-DL-E-25102021-230698

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4083] No. 4083] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 25, 2021/कार्तिक 3, 1943 NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 25, 2021/KARTIKA 3, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 2021

का.आ. 4437(अ).—तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 (1975 का 4) की धारा 8 की उप-धारा (2) के खंड (छ) के साथ पिठत धारा 20क द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा तम्बाकू बोर्ड को फसली मौसम 2021-22 की नीलामी के दौरान की अविध के लिए यह प्राधिकार देती है कि वह कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश राज्य में अपने नीलामी मंचो पर दोनों राज्यों में पंजीकृत किसानों द्वारा उगाई गई अतिरिक्त फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू तथा अपंजीकृत उत्पादकों द्वारा उगाई गई अनिधकृत फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू की खरीद करने के लिए तम्बाकू बोर्ड के पंजीकृत व्यापारियों तथा डीलरों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमित प्रदान करती है, अर्थात:-

- (क) वर्ष 2021-22 के फसली मौसम के लिए प्रत्येक पंजीकृत उपजकर्ता को बेशी फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू के उत्पादन पर एक रुपए, प्रति किलोग्राम तथा बिक्री अर्जन के पांच प्रतिशत (उत्पादकों द्वारा देय आय के एक प्रतिशत के सामान्य सेवा प्रभार सिहत) की राशि का योगदान तम्बाकू निधि में करना होगा;
- (ख) वर्ष 2021-22 के फसली मौसम के लिए प्रत्येक अपंजीकृत उत्पादक द्वारा उत्पादित अनिधकृत फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू पर तम्बाकू निधि में दो रुपए प्रति किलोग्राम और बिक्री आय के दस प्रतिशत(उत्पादकों द्वारा देय अर्जन के एक प्रतिशत के सेवा प्रभार सहित) की राशि का योगदान तम्बाकू निधि में करना होगा;

6152 GI/2021 (1)

(ग) वर्ष 2022 के लिए तम्बाकृ की फसल के संबंध में अधिकारों के रिकार्ड की एक प्रति प्रस्तृत की जानी है।

[फा.सं. 5/3/2019-ईपी(एग्री-VI)/भाग]

दिवाकर नाथ मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October, 2021

- **S.O. 4437(E).** —In exercise of the powers conferred by section 20A, read with clause (g) of sub-section (2) of section 8 of the Tobacco Board Act, 1975 (Act 4 of 1975), the Central Government hereby authorises the Tobacco Board to allow the registered traders and dealers of the Tobacco Board to purchase at its auction platforms in the State of Karnataka and Andhra Pradesh during the auctions for Crop Season 2021-22, the excess flue cured virginia tobacco produced by registered growers and unauthorized flue cured virginia tobacco produced by unregistered growers in both the States, subject to the following conditions, namely:
 - a. An amount of Rupees One per kilogram and Five per cent, of the proceeds of the sale (including a normal service charge of one per cent. of proceeds payable by growers) shall be contributed to the Tobacco Fund by every registered grower for the excess flue cured virginia tobacco produced by him or her for 2021-22 crop season.
 - b. An amount of Rupees two per kilogram and ten per cent, of the proceeds of the sale (including a normal service charge of one per cent. of proceeds payable by growers) shall be contributed to the Tobacco Fund by every unregistered grower for the unauthorised flue cured virginia tobacco produced by him or her for 2021-22 crop season.
 - c. a copy of the Record of Rights in respect of tobacco crop for the year 2022 is to be furnished.

[F.No.5/3/2019-EP(Agri-VI)/Pt.]

DIWAKAR NATH MISRA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 2021

का.आ.4438(अ).—यत:, केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिनके कारण जनहित में यह आवश्यक हो गया है कि तंबाकू बोर्ड अधिनियम, 1975(1975 का 4) द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों में ढ़ील प्रदान की जाए;

और, यत: केन्द्रीय सरकार यह आवश्यक समझती है कि कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश राज्य में पंजीकृत उत्पादकों की अतिरिक्त फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू तथा अपंजीकृत उत्पादकों द्वारा उत्पादित अनिधकृत फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू की बिक्री तम्बाकू बोर्ड के निर्दिष्ट नीलामी मंचों से की जाए;

इसलिए, अब, तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975(1975 का 4) की धारा 8 की उप-धारा (2) के खंड (छ) के साथ पठित धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश राज्य में उक्त अधिनियम की धारा 14(ए) की उप धारा (1) के साथ पठित धारा 10 की उप धारा (1) के प्रावधानों के प्रवर्तन में वर्ष 2021-22 के फसली मौसम में फसल की नीलामी के दौरान ढील प्रदान करती है तथा पंजीकृत उत्पादकों की अतिरिक्त फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू की पैदावार तथा अपंजीकृत उत्पादकों की अनिधिकृत फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू की पैदावार की बिक्री तम्बाकू बोर्ड द्वारा प्राधिकृत नीलामी मंचों पर करने की अनुमित प्रदान करती है।

[फा.सं. 5/3/2019-ईपी(एग्री-VI)/भाग] दिवाकर नाथ मिश्रा, संयक्त सचिव